

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway
कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर
Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur

No. W/BSP/SBF/Study Tour/REW/2023

Dated 10.05.2023

समस्त विभागाध्यक्ष /मुख्यालय/बिलासपुर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण बिलासपुर
मण्डल रेल प्रबन्धक /रायपुर, नागपुर, समस्त शाखा अधिकारी/बिलासपुर ,मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक /वै.र.शा./रायपुर
मुख्य कार्यशाला प्रबन्धक/मोतीबाग कार्यशाला नागपुर,उप मुख्य भंडार नियंत्रक /सामान्य भंडार डिपो /रायपुर
दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे

SBF अधिसूचना - बिलासपुर रेल्वे कर्मचारी के बच्चों की शैक्षणिक भ्रमण शिविर -2023

विषय: कर्मचारी हित निधि, बिलासपुर के तत्वाधान में दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में कार्यरत गैर राजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण शिविर का आयोजन जून 2023 में संभावित।

संदर्भ: वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/बिलासपुर पत्र क्रमांक- W/BSP/SBF/Study Tour/REW/2023 Dated-19.04.2023

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19-04-2023 के तहत क्षेत्रीय कर्मचारी हित निधि द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में कार्यरत गैर राजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षणिक भ्रमण के लिए विशाखापटनम क्षेत्र में शिविर हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था जिसके लिए अंतिम तिथि 08-05-2023 निर्धारित की गई थी, परंतु कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण पुनः आवेदन आमंत्रित किया जाता है। जो कर्मचारी आवेदन कर चुके हैं उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

रेल्वे में कार्यरत गैर राजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए जो की स्कूल में अध्ययनरत हैं निम्नलिखित नियमों/शर्तों पर शैक्षणिक भ्रमण शिविर आयोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

- i) शैक्षणिक भ्रमण शिविर, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे में कार्यरत गैर राजपत्रित कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशाखापटनम में एसबीएफ समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- ii) शैक्षणिक भ्रमण शिविर का आयोजन जून 2023 में संभावित है।
- iii) शैक्षणिक भ्रमण शिविर के लिए बच्चों को मेडिकल फिट होना आवश्यक है (रेल्वे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) अंतिम सूची जारी होने पर प्रस्तुत किया जाना है। चयनित होने के उपरांत एक सेट सुविधा पास /पी.टी.ओ उपयोग करना होगा।
- iv) बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था कर्मचारी हित निधि बिलासपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाएगा।
- v) शिविरार्थियों की अंतिम सूची हायर क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रथम प्राथमिकता एवं आयु के अनुसार उम्र में बड़े बच्चों को द्वितीय प्राथमिकता देते हुए तैयार की जाएगी। शैक्षणिक भ्रमण शिविर में शिविरार्थी (बच्चों) की आयु अधिसूचना तिथि को न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिये।
- vi) स्कूल द्वारा प्रमाणित बोनाफाइड सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।
- vii) शैक्षणिक भ्रमण शिविर के लिए बच्चों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है। कार्यरत कर्मचारियों के स्ट्रेथ के अनुसार निम्न प्रकार से कोटा निर्धारित किया गया है-

क्रमांक	मुख्यालय/मण्डल/वर्कशाप	छात्र/छात्राए
1	मुख्यालय & निर्माण (बिलासपुर)	03
2	बिलासपुर मंडल	18
3	रायपुर मंडल	12
4	नागपुर मंडल & नागपुर निर्माण	14
5	वेगन रिपेयरिंग शाप/रायपुर	02
6	मोतीबाग वर्कशाप/नागपुर	01
	कुल	50

- viii) उपरोक्त मुख्यालय/मण्डल/वर्कशाप को निर्धारित कोटा से कम आवेदन प्राप्त होने पर उसे दूसरे समूह में परिवर्तित किया जाएगा।
- ix) जिन कर्मचारी के बच्चे पूर्व में इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, वे पात्र नहीं होंगे। इस सुविधा का लाभ पूरे कार्यकाल में एक बार ही लिया जा सकता है।
- x) वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/ रायपुर एवं नागपुर , उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (निर्माण)बिलासपुर, एवं सहायक कारखाना कार्मिक अधिकारी/रायपुर तथा नागपुर द्वारा वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी /बिलासपुर को आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व आवेदक की प्रामाणिकता/ पात्रता माप-दंड को अपने स्तर पर जांचकर सुनिश्चित कर लें।
- xi) चयनित होने पर प्रत्येक शिविरार्थी को रु 500/-(पाँच सौ रुपये मात्र) की नाममात्र राशि अवकाश शिविर शुक्ल के रूप में दौरे से पहले भुगतान करना होगा, उक्त राशि अवकाश शिविर के पश्चात वापस की जायेगी।
- xii) चयनित शिविरार्थी को शिविर के दौरान अवकाश शिविर के नियमों में रखी अन्य शर्तों के अधीन शिविर आचरण नियम का पालन करना होगा।
- xiii) आवेदन नियत तारीख 22.05.2023 के भीतर निर्धारित प्रपत्र में पर्यवेक्षक / संबन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कार्मिक विभाग मुख्यालय/मण्डल/कारखाना इकाई /यूनिट में प्रस्तुत करना होगा।
- xiv) अपूर्ण आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा एवं इसे निरस्त कर इस कार्यालय से कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- xv) कार्मिक विभाग मुख्यालय/मण्डल/कारखाना इकाई / यूनिट द्वारा प्राप्त पात्र आवेदनो को तथा आवेदकों की सूची (उम्र के अनुसार) नीचे दिये गए प्रारूप में दिनांक 25-05-2023 तक वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी /बिलासपुर को प्रेषित करें।

क्र	कर्मचारी का नाम	पद	विभाग	पी एफ स.	आधार न.	मोबाइल न.	बच्चे का नाम	जन्म तिथि	आधार नं	अधिसूचना की तिथि को उम्र	क्लास जिसमें अध्ययनरत है	मोबाइल नं	टिप्पणी
-----	-----------------	----	-------	----------	---------	-----------	--------------	-----------	---------	--------------------------	--------------------------	-----------	---------

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कार्यरत रेलवे कर्मचारी के बीच बच्चों की शैक्षणिक भ्रमण का कृपया व्यापक प्रचार प्रसार करें ।

नोट: अपरिहार्य कारण से आवश्यकता पड़ने पर स्थान एवं तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

संलग्न - आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र का प्रारूप ।

(स्नेहशीष घोष)

सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी-।

कृते वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी

प्रतिलिपि जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए-

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /मानव संसाधन विकास/ मुख्यालय बिलासपुर, व. मण्डल. कार्मिक अधिकारी / द.पू.म.रे , रायपुर एवं नागपुर अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड एवं रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ , बिलासपुर, प्राचार्य / बहु-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्युत लोको प्रशिक्षण केंद्र , उसलापुर /बिलासपुर।उप.मु.कार्मिक अधिकारी(निर्माण)/बिलासपुर,कार्यशाला कार्मिक अधिकारी /मोतीबाग कार्यशाला /नागपुर ,सहायक कार्यशाला कार्मिक अधिकारी/वैगन रिपेयर कार्यशाला /रायपुर , सहायक कार्मिक अधिकारी /सामान्य भंडार डिपो /रायपुर महासचिव /द. पू. म. रेलवे मजदूर काँग्रेस /बिलासपुर,जोनल सचिव AISCSTREA /बिलासपुर एवं SECROBCEA/BSP।सर्व संबन्धित, सूचना पटल।

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
शैक्षणिक भ्रमण-2023 हेतु आवेदन पत्र (रेल्वे कर्मचारी के बच्चे हेतु)
(विशाखापटनम के लिए)

विषय: शैक्षणिक भ्रमण शिविर -2023 हेतु आवेदन पत्र ।

1.	कर्मचारी का नाम	
2.	पी. एफ. क्रमांक /HRMS आईडी	
3.	पदनाम	
4.	लेवल (सातवे वेतनमान के अनुसार)	
5.	विभाग	
6.	मुख्यालय /मण्डल /इकाई	
7.	शिविरार्थी का नाम (बच्चे का नाम)	
8.	जन्मतिथि	
9.	क्लास जिसमें अध्ययनरत है	
10.	आधार नं (संलग्न करे)	
11.	अधिसूचना की तिथि को आयु	
12.	इस आवेदन के साथ संलग्न घोषणा पत्र (हाँ /नहीं)	
13.	क्या आपने विगत वर्षों में शैक्षणिक भ्रमण की सुविधा /लाभ ली है यदि हाँ तो कृपया स्थान एवं वर्ष का उल्लेख करें ।	
14.	स्कूल द्वारा प्रमाणित बोनाफाइड सर्टिफिकेट संलग्न (हाँ /नहीं)	
15.	पता एवं मोबाइल नं	

घोषणा :मैं यह घोषणा करता/करती हूँ की ऊपर दिये गए विवरण सही है यदि उनमें कोई गलत जानकारी पायी जाती है तो, अनुशासनिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी और शिविर संबन्धित मुझ पर खर्च की गई राशि को भी मेरे वेतन से कटौती किया जाएगा । इसके अतिरिक्त रेल सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही के लिए भी मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

आपका आभारी

शिविरार्थी के हस्ताक्षर

कर्मचारी के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय/मण्डल/इकाई कर्मचारी कल्याण निधि समिति , दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे को अग्रेषित ।

दिनांक -

स्थान -

अग्रेषित अधिकारी के हस्ताक्षर
एवं पदनाम (सील सहित)

10/5

शैक्षणिक भ्रमण शिविर -2023 में जाने वाले शिविरार्थी के पालक द्वारा घोषणा पत्र

1. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप अधिकारी के आदेशों का सत्यनिष्ठा होकर पालन करूंगा /करूंगी।
2. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप अधिकारी द्वारा जिन स्थानों को भ्रमण हेतु चिन्हित किया गया है उन स्थानों को उन्हीं के साथ अर्थात पूरी टीम के साथ भ्रमण करूंगा/करूंगी।
3. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि टीम को छोड़कर अकेले अन्य स्थानों पर भ्रमण नहीं करूंगा/करूंगी ।
4. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप के दौरान किसी भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा/करूंगी ।
5. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप के दौरान अन्य पर्यटकों एवं साथी कैंपर के साथ ऐसा कोई कार्य /व्यवहार नहीं करूंगी/करूंगा जो अशोभनीय हो।
6. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप के दौरान दिये गए खाद्यपदार्थों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करूंगी/करूंगा।
7. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि नियमानुसार कैंप शुल्क रु 500/- जमा करूंगी/करूंगा ।
8. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कैंप के दौरान किसी भी दुर्घटना होने कि स्थिति में स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी। दुर्घटना के संबंध में रेल प्रशासन से किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा /करूंगी ।
9. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि कर्मचारी लाभ निधि के द्वारा आयोजित वर्तमान कैंप के अलावा पूर्व में आयोजित कोई भी कैंप में भाग नहीं लिया है।
10. मैं अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करूंगा /करूंगी ।
11. मैं एतद द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि ऊपर वर्णित कंडिका 1-10 तक का पालन करूंगी /करूंगा।

घोषणाकर्ता / शिविरार्थी का हस्ताक्षर
दिनांक;
स्थान :

कर्मचारी का हस्ताक्षर
कर्मचारी का नाम:-
कर्मचारी का पीएफ नंबर:
कर्मचारी का पता :
मोबाइल न.

अग्रेषित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम(सील सहित)

